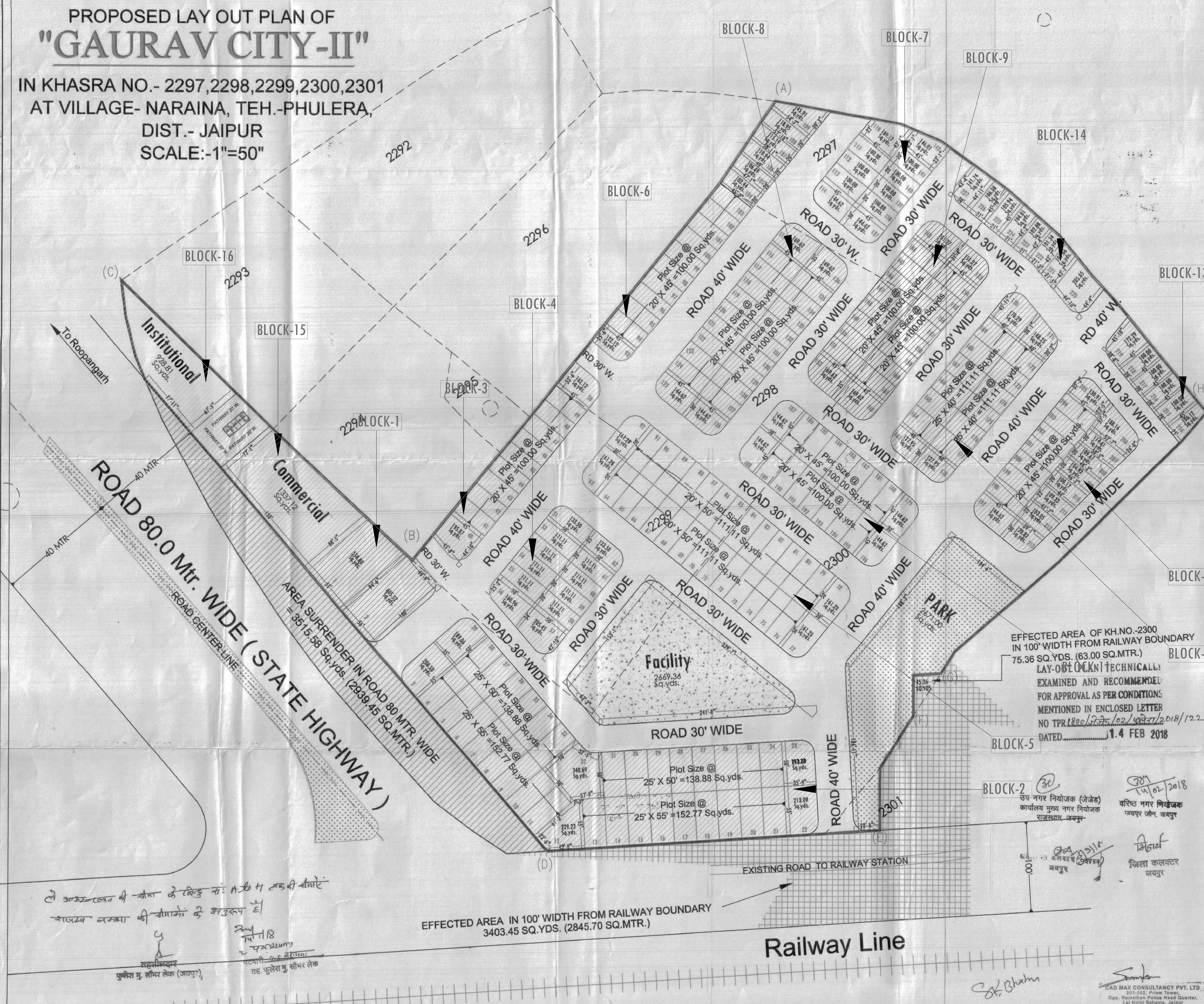


PROPOSED LAY OUT PLAN OF "GAURAV CITY-II"

IN KHASRA NO.- 2297,2298,2299,2300,2301
AT VILLAGE- NARAINA, TEH.-PHULERA,
DIST.- JAIPUR
SCALE:-1"=50"



KHASRA DETAIL

KHASRANO.	2297,2298,2299,2300,2301
AREA	50459.00 SQ. MTR, (19 BIGHA 19 BISWA)
NAME OF KHATEDAR :	SURENDRA KUMAR BHABHRA S/O SH. HARI SHANKAR BHABHRA

- कार्यक्रम द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी:-
- उक्त ले-आउट प्लान का अनुमोदन पिछा स्वरूप ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक: 0-8-2018 में विर किया गया था। यह स्वरूपित आदेश क्रमांक आ-14/1/7339 दि 7-8-2018 का भाग होगा। आदेश में उक्त शर्तों की पालना आवश्यक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
 - राजस्थान विधान सभा के अधिनियम क्रमांक 5/6/1998-6/92/पार्ट/21 दिनांक: 27.08.2007 एवं परिवर्तन क्रमांक: प. 6/6/1998-6/ 82 पार्ट 28 दिनांक 08.10.2007 के अधिनियमों की पालना की जायेगी।
 - भूमि को पट्टाच रिकॉर्ड की व्यवस्था एवं स्वतः के अलावा पट्टाच रिकॉर्ड में अनुमोदित योजनाएँ स्थित हैं तो योजना क्षेत्र की सड़कों की विस्तारता विधानमंडल क्षेत्र की सड़कों से बनी रहने।
 - योजना में मुख्यमंत्री का सेंट्रल एवं अन्य मंत्र विभाग के पैरामीटर फिक्स्टेशन नगरपालिका के मंत्र विभागों के प्रावधानानुसार हो। योजना का विकास अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार करना होगा।
 - योजना में आवासीय सुविधाएँ जैसे सड़क, नाली निर्माण, पार्कों का विकास, लाइट, पानी आदि विकास कार्य आवश्यक को स्वयं के खर्च पर विकसित करने होंगे।
 - आईआरसी से प्रमाणित/स्वीकृत भूमि, सुविधा क्षेत्र की भूमि एवं नियम 4 में निम्न भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।
 - योजना में दर्शाया गया पार्क, सड़क, सुविधा क्षेत्र वगैरह इन्हें में समायोजित किया जायेगा जो राज्य सरकार के स्वीकृत में रहेगा।
 - योजना में नियमानुसार वाटर होवरिंग के प्रावधान लागू होंगे।
 - योजना में सड़क नगर विभाजन द्वारा अंकित शर्तों के अनुसार प्रमाणित में सेंट्रल मंत्र विभागानुसार पैरामीटर से रखा जायेगा।
 - योजना में सड़क नगर विभाजन द्वारा पत्र क्रमांक टीपीआर 1800/जेजेड / 02 / फुलेरा / 2016/122 दिनांक: 14-5-2016 (प्रति संस्करण) से प्रेषित तकनीकी जांच रिपोर्ट में अंकित स्मरत शर्तों की पालना शर्तों एवं जिला स्तरीय ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक: 09-08-2018 जो क्रमांक 6823 दिनांक: 08-08-2018 से जारी किया जा चुका है में उक्त शर्तों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

NAME OF SCHEME :-
"GAURAV CITY-II"
AT VILLAGE- NARAINA, TEH.-PHULERA, DIST.- JAIPUR

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (Sq.yds.)	(%)
1	RESIDENTIAL	28662.22	53.72 %
2	COMMERCIAL	1740.20	03.26 %
3	INSTITUTIONAL	928.81	01.74 %
TOTAL (1+2+3)		31331.23	58.72 %
4	PARK	2671.00	05.01 %
5	FACILITY	2669.36	05.00 %
6	ROAD	16682.98	31.27 %
TOTAL (4+5+6)		22023.34	41.28 %
SCHEME AREA		53354.57 (44610.85 SQ.MTR.)	100.00 %
A.C. SURRENDER AREA IN 80 MTR ROAD		3515.58 Sq.yds. (2939.45 SQ.MTR.)	
TOTAL AREA		56870.15 Sq.yds. (47550.30 SQ.MTR.)	
EXCLUDING AREA IN RAILWAY (AS PER ADM LETTER)		3478.81 Sq.yds. (2908.70 SQ.MTR.)	
TOTAL KHATEDAR AREA		60348.96 Sq.yds. (50459.00 SQ.MTR.)	

LEGEND:-

KHASRA LINE	---
SCHEME BOUNDARY	---
SCHEME CORNER POINT-	(A,B,C,D,E,F,G,H)
SCALE :-	NORTH :-
1" = 50' FEET	
SUBMITTED TO :-	
DIST. COLLECTOR JAIPUR	